न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	–	सोनिका पुरोहित, R.J.S (DJ Cadre)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	–	195/2026
सीएनआर नम्बर	–	RJCH010007612026

1. राजवीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 10 खड़वा पट्टा पीएस भालेरी जिला चूरू
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्र सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 10 खड़वा पट्टा पीएस भालेरी जिला चूरू

– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

वि रु द्ध

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, चूरू। – अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 123/2026 धारा 115(2), 140(3), 307, 127(2) व 189(2) पुलिस थाना कोतवाली, चूरू

उपस्थितः–

1. श्री आदित्य राठौड़ योग्य अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– : आ दे श : –

दिनांक – 04 जुलाई, 2026

(1) प्रार्थी/अभियुक्त के धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा दिनांक 25.06.2026 को खारिज किए जाने के उपरान्त उसकी ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई हैं। प्रार्थना पत्र की नकल योग्य लोक अभियेाजक को दिलवाई गई तथा अनुसन्धान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

(2) बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। परिवादी एवं भावना स्वामी दोनों बालिग थे तथा उन्होंने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से विवाह किया था, जिसके कारण दोनों पक्षों के परिवारों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। उक्त पारिवारिक विवाद को अनावश्यक रूप से आपराधिक स्वरूप देकर अभियुक्तगण को इस प्रकरण में फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी विलम्ब से दर्ज कराई गई है। यह भी निवेदन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाला व्यक्ति कथित पीड़िता नहीं है तथा पीड़िता के कथनों/बयानों में भी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के नाम अंकित नहीं हैं। यह भी निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण किसी भी प्रकार से धारा 307 बीएनएस के अंतर्गत अपराध कारित करने के आशय से घटनास्थल पर नहीं पहुँचे थे। मूल अभियुक्त की आज दिनांक तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। धारा 307 बीएनएस का आरोप केवल इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उक्त धारा गम्भीर प्रकृति की है तथा उसमें दस वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है, जबकि प्रकरण की अन्य धाराओं में अपेक्षाकृत कम दण्ड का प्रावधान है। अतः धारा 307 बीएनएस का आरोप तथ्यों एवं उपलब्ध सामग्री के अनुरूप नहीं है। यह भी बहस रही है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी अथवा अनुसन्धान शेष नहीं है। वे दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से सह–अभियुक्त ओमगिरी की जमानत दिनांक 01.07.2026 स्वीकार हो चुकी है। प्रकरण के शेष अनुसन्धान एवं विचारण में पर्याप्त समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को

जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता द्वारा खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य निर्णय दिनांक 25.01.2021 का न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया गया।

(3) विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की घटना में अहम भूमिका रही है। अतः उनका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

(4) बहस पर मनन किया गया तथा अनुसन्धान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसन्धान पत्रावली के अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.05.2026 को परिवादी कृष्ण कुमार ने पुलिस थाना कोतवाली चूरू में एक रिपोर्ट प्रस्तुत इस आशय की पेश की कि उसका भावना स्वामी के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों ने दिनांक 18.05.2026 को जयपुर में विवाह कर लिया। विवाह के कारण भावना के पिता दशरथ स्वामी एवं अन्य परिजन उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे थे। सुरक्षा की आशंका के चलते दोनों दिनांक 25.05.2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चूरू में सुरक्षा हेतु परिवाद प्रस्तुत करने गए थे। स्वागत कक्ष में बैठे होने के दौरान दशरथ स्वामी सहित अनेक व्यक्ति एकराय होकर कक्ष में घुस आए तथा परिवादी एवं उसकी पत्नी को जबरन घसीटकर ले जाने का प्रयास किया। बीच–बचाव करने पर परिवादी एवं उसके जीजा विकास बांगड़वा के साथ लात–घूंसों से मारपीट की गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान परिवादी का बैग, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र, जनआधार, शैक्षणिक दस्तावेज एवं नकदी रखी थी, जबरन छीन लिया गया तथा उसकी पत्नी भावना के साथ मारपीट कर उसे जबरन एक कार में बैठाकर अन्य वाहनों के साथ ले जाया गया आदि आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी संख्या 123/2026 जुर्म दफा 115(2), 140(3), 307, 127(2), 189(2) व 61(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। अनुसन्धान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त योगेन्द्र सिंह के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है किन्तु प्रार्थी /अभियुक्त राजवीर सिंह के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा पूर्व में निम्न प्रकरण दर्ज होना बताया गया है:–

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	अपराध अन्तर्गत धारा	नतीजा
1	18/2025 पीएस कोतवाली चूरू	341 व 323/34 भादस	न्यायालय में लम्बित

(5) अभिलेख के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि परिवादी कृष्ण कुमार एवं भावना स्वामी द्वारा अपनी इच्छा से विवाह किए जाने के उपरान्त अभियुक्तगण अपने अन्य साथियों के साथ एकराय होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चूरू के स्वागत कक्ष में पहुँचे, जहाँ परिवादी एवं भावना स्वामी को बलपूर्वक घसीटकर ले जाने का प्रयास किया गया तथा बीच–बचाव करने पर परिवादी एवं उसके जीजा के साथ मारपीट की गई। तत्पश्चात भावना स्वामी को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन वाहन में बैठाकर ले जाया गया। अनुसन्धान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, नक्शा मौका, एफएसएल निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज का संकलन एवं विश्लेषण, पीड़िता के कथन तथा अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं। अनुसन्धान में यह सामने आया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राजवीर एवं योगेन्द्र घटना में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे क्योंकि ये दोनों अन्य अभियुक्तों के साथ एकराय होकर घटनास्थल पर पहुँचे तथा परिवादी एवं पीड़िता के साथ बलपूर्वक मारपीट एवं घसीटने तथा अपहरण की घटना में सहभागी रहे। अनुसन्धान के दौरान अभियुक्त राजवीर की सूचना पर घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार संख्या RJ–40–UA–0565 की बरामदगी भी हुई है। जहाँ तक सह–अभियुक्त ओमगिरी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने के आधार पर समानता (Parity) का प्रश्न है, अनुसन्धान पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सह–अभियुक्त ओमगर की भूमिका वर्तमान प्रार्थीगण से भिन्न दर्शाई गई है उसका कृत्य एक वाहन चालक का था और अपहृता भावना स्वामी को अपनी ब्रेज़ा कार से अन्य स्थान पर ले जाने का था

तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह–अभियुक्त ओमगिर का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है जबकि वर्तमान प्रार्थीगण राजवीर एवं योगेन्द्र का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है तथा प्रार्थीगण राजवीर एवं योगेन्द्र के विरुद्ध घटना के प्रारम्भिक चरण से ही स्वागत कक्ष में प्रवेश कर परिवादी एवं पीड़िता के साथ बलपूर्वक मारपीट, घसीटने तथा अपहरण की घटना में सक्रिय सहभागिता के विशिष्ट आरोप हैं। अतः सह–अभियुक्त ओमगिरी की भूमिका वर्तमान प्रार्थीगण के समान नहीं होने से उन्हें केवल समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

(6) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Sagar v State of UP दिनांक 28.11.2025 को पारित निर्णय (2025 INSC 1370)** में पैरा संख्या 11 व 14 में स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि:–

> 11. It is clear from the perusal of the above factors that the High Court failed to consider all that was relevant. On parity, it is necessary to refer to Ramesh **Bhavan Rathod v. Vishanbhai Hirabhai Makwana(Koli)** and Anr. (2021) 6 SCC 230). This Court observed that while utilizing parity as a ground for bail, the same must focus on the role of the accused and cannot be utilized solely because another accused person was granted bail in connection with the same offence, and neither can this ground be claimed as a matter of right. [See also: **Tarun Kumar v. Assistant Director Directorate of Enforcement** (2023 SCC Online SC1486); **Sabita Paul v. State of West Bengal and Anr.** (2024 SCC Online SC 374)
>
> 14. What flows from the above judgments, which have been referred to, only to the limited extent indicated above, is that the High Courts speak in one voice that parity is not the sole ground on which bail can be granted. That, undoubtedly, is the correct position in law. The word 'parity' is defined by the Cambridge Dictionary as "equality, especially of pay or position." When weighing an application on parity, it is 'position' that is the clincher. The requirement of 'position' is not met only by involvement in the same offence. Position means what the person whose application is being weighed, his position in crime, i.e., his role etc. There can be different roles played — someone part of a large group, intending to intimidate; an instigator of violence; someone who throws hands at the other side, instigated by such words spoken by another, someone who fired a weapon or swung a machete — parity of these people will be with those who have performed similar acts, and not with someone who was part of the group to intimidate the other by the sheer size of the gathering, with another who attempted to hack away at the opposer's limbs with a weapon.

(7) उपर्युक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में केवल सह–अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने मात्र से अन्य अभियुक्त समानता (Parity) के आधार पर जमानत पाने के अधिकारी नहीं हो जाते। न्यायालय को प्रत्येक अभियुक्त की व्यक्तिगत भूमिका, अपराध में उसकी सहभागिता, उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। यदि किसी अभियुक्त की भूमिका सह–अभियुक्त से भिन्न अथवा अधिक गम्भीर हो तो समानता (Parity) का सिद्धान्त लागू नहीं होता। जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है प्रार्थीगण /अभियुक्तगण राजवीर एवं योगेन्द्र की भूमिका सह–अभियुक्त ओमगिरी से भिन्न है। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अभी अनुसन्धान पूर्ण नहीं हुआ है। अन्य नामजद एवं घटना में सम्मिलित आरोपीगण की भूमिका के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना शेष है। अन्य वांछित आरोपीगण की तलाश ग्राम खण्डवा, सवाई सांवल, सरदारशहर, मालसर, नाथवाना, सहजुसर, गाजसर तथा अन्य सम्भावित स्थानों पर की गई किन्तु उनकी उपस्थिति अथवा ठिकाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

(8) ऐसी स्थिति में अनुसन्धान के वर्तमान प्रक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभियुक्तगण की विशिष्ट भूमिका, अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित नहीं होने से

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राजवीर एवं योगेन्द्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

–: <u>आ दे श</u> :–

(9) फलतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

(10) आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

MOHIT SHARMA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
2026.07.04 17:03:15 +0530